

कार्यालय, कलेक्टर जिला- जशपुर (छ.ग.)



संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक / 732 / जि.पं. / MGNREGA / संविदा / 2016-17

जशपुर, दिनांक 26/11/16

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, रायपुर के पत्र पृ. क्रमांक / 1157 / प.ग्रा.वि.वि. / 22 / 2016 रायपुर दिनांक 05.04.2016 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (छ.ग.) के अन्तर्गत जिला/जनपद स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार रिक्त पद हेतु दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के लिये संविदा (प्रतिमाह एकमुश्त वेतन पर) नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी एवं इच्छुक अम्बर्थियों से दिनांक सायं 5:00 बजे तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं -

क्र.	पद नाम	पुनरीक्षित संविदा एक मुश्त वेतन (प्रतिमाह)	रिक्त पदों की संख्या																कुलयोग							
			अनारक्षित				अनुजाति				अनुजनजाति				पि.वर्ग				मुक्. त	महि. ला	भू.पू. सै.	नि: शक्. त	योग			
			मुक्. त	महि. ला	भू.पू. सै.	नि: शक्. त	योग	मुक्. त	महि. ला	भू.पू. सै.	नि: शक्. त	योग	मुक्. त	महि. ला	भू.पू. सै.	नि: शक्. त	योग									
1	सहायक प्रोग्रामर (जनपद स्तर)	20342	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	सहायक ग्रेड-03 (जिला/जनपद स्तर)	10612	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

❖ शैक्षणिक योग्यता:-

पद क्रमांक-01 हेतु

(अ) कम्प्यूटर साईस/आई.टी. विषय में बी.ई./बी.टेक

(ब) एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस/आई.टी.)

पद क्रमांक-02 हेतु

(अ) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ब) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए (Key) डिप्रेशन परीक्षण के लिये कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।

अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी -

- छ.ग. शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में प्रावधानित समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
- संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के लिये होगी। तत्पश्चात कार्य योग्यता, मूल्यांकन, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
- संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

[Signature]
A.O.

[Signature]

[Signature]

